संख्या-21/2023/219/छप्पन-2023/06/2001

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 01 मार्च, 2023

विषय: टैक्सी लिंक का निर्माण सरसावा एयरपोर्ट, सहारनपुर में करने हेतु वार्षिक पट्टा किराया रू0 18,12,500/- को उ0प्र0 सरकार द्वारा रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ को भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-277/आर0सी0एस0-2022-एस-1/2018 दिनांक 09 फरवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर०सी०एस० स्कीम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को निष्पादित एम0ओ0यू0 के बिन्दु संख्या-4.2.2 (b) में वर्णित व्यवस्थानुसार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित सरसावा (जनपद सहारनपुर) एयरपोर्ट पर लिंक टैक्सी के निर्माण हेतु रक्षा भूमि का उपयोग करने के लिए वार्षिक पट्टा किराया रू0 18,12,500/- का भुगतान जिलाधिकारी, सहारनपुर के माध्यम से रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ को किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर०सी०एस० स्कीम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को निष्पादित एम0ओ0यू0 के परिप्रेक्ष्य में सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट पर लिंक टैक्सी के निर्माण हेतु रक्षा भूमि का उपयोग करने के लिए वार्षिक किराए का भुगतान रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ को जाने हेतु रू0 18,12,500/- (रूपए अट्ठारह लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सोपक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 18,12,500/- (रूपए अट्ठारह लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, सहारनपुर के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा उक्त धनराशि यथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पक्ष (रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ) को नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

4- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-355/दस-2022-23, दिनांक 24 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-21/2023/219(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- जिलाधिकारी, सहारनपुर।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ सहारनपुर।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।